Dindori News : राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग तक पहुंचा नाबालिग आदिवासी छात्राओं से यौन शोषण का मामला

DHEERAJ BAJPAIH
Updated Date: | Fri, 24 Mar 2023 11:40 AM (IST)
Published Date: | Fri, 24 Mar 2023 11:30 AM (IST)

हमें फॉलो करें

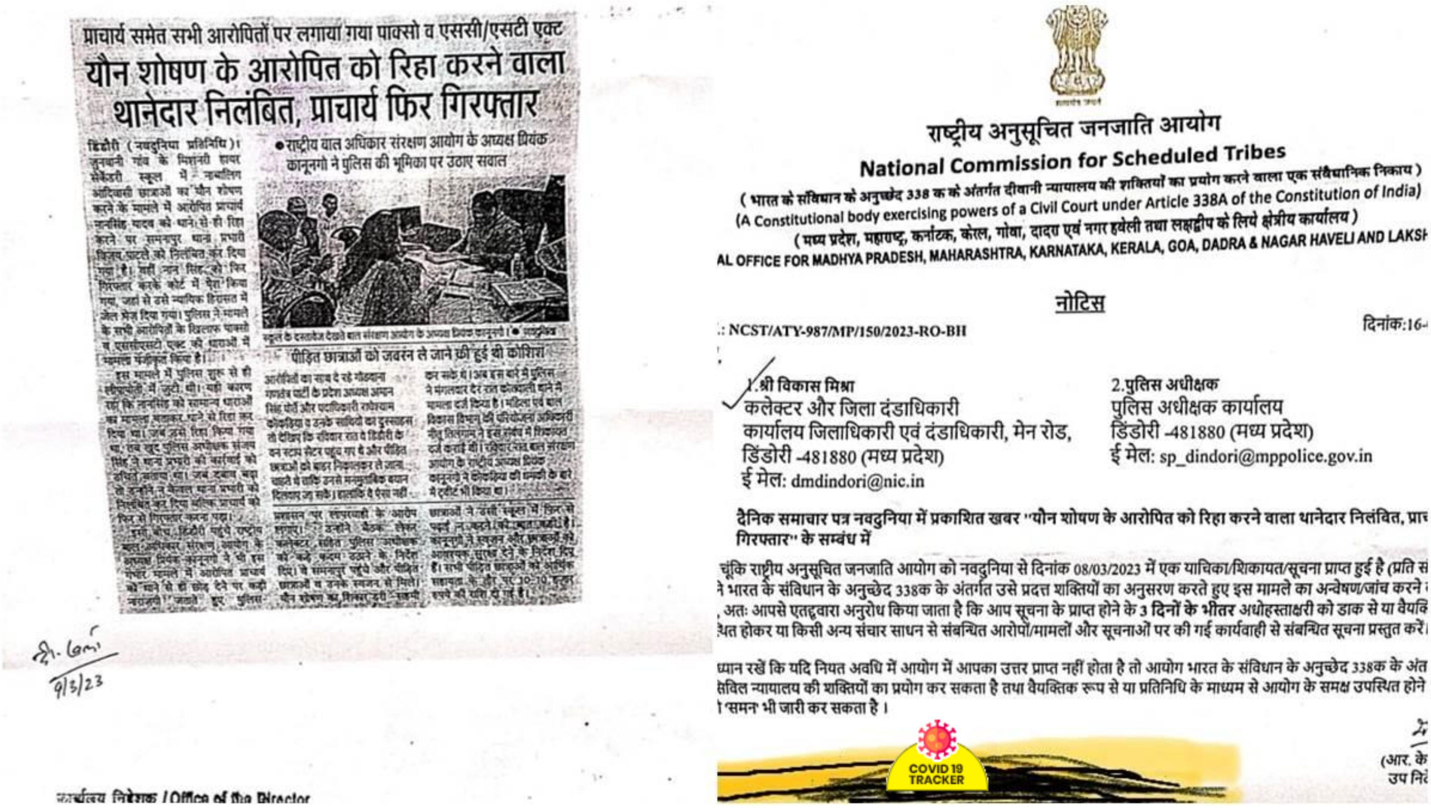
प्राचार्य समेत सभी आरोपितों पर लगाया गया पाक्सो व एससी/एसटी एक्ट

यौन शोषण के आरोपित को रिहा करने वाला थानेदार निलंबित, प्राचार्य फिर गिरफ्तार

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने पुलिस की भूमिका पर उठाए सवाल

पीड़ित छात्राओं को जबरन ले जाने की हुई थी कोशिश

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)

(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

(मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गोवा, दादरा एवं नगर हवेली तथा लक्षद्वीप के लिये क्षेत्रीय कार्यालय)

AL OFFICE FOR MADHYA PRADESH, MAHARASHTRA, KARNATAKA, KERALA, GOA, DADRA & NAGAR HAVELI AND LAKSH

नोटिस

: NCST/ATY-987/MP/150/2023-RO-BH　　　　दिनांक:16-

1.श्री विकास मिश्रा
कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी
कार्यालय जिलाधिकारी एवं दंडाधिकारी, मेन रोड,
डिंडोरी -481880 (मध्य प्रदेश)
ई मेल: dmdindori@nic.in

2.पुलिस अधीक्षक
पुलिस अधीक्षक कार्यालय
डिंडोरी -481880 (मध्य प्रदेश)
ई मेल: sp_dindori@mppolice.gov.in

दैनिक समाचार पत्र नवदुनिया में प्रकाशित खबर "यौन शोषण के आरोपित को रिहा करने वाला थानेदार निलंबित, प्रा[illegible] गिरफ्तार" के सम्बंध में

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को नवदुनिया से दिनांक 08/03/2023 में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति सं[illegible] ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने [illegible], अतः आपसे एतद्द्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 3 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्ति[illegible] [illegible]थत होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबन्धित सूचना प्रस्तुत करें।

ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंत[illegible] सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने [illegible] 'समन' भी जारी कर सकता है।

(आर. के[illegible]
उप नि[illegible]

कार्यालय निदेशक / Office of the Director

Dindori News : नई दुनिया में प्रकाशित समाचार को संज्ञान में लेकर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को जारी किया नोटिस

Dindori News : डिंडौरी, नई दुनिया प्रतिनिधि। मिशनरी स्कूल जुनवानी में नाबालिग आदिवासी छात्राओं के साथ यौन शोषण का गंभीर मामला राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग तक पहुंच गया है। नई दुनिया समाचार पत्र में

प्रमुखता से प्रकाशित इस मामले के समाचार को संज्ञान में लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक डिंडौरी को नोटिस जारी कर अब तक की गई इस मामले में कार्रवाई का विवरण तलब कर लिया है। आयोग द्वारा संविधान के अनुच्छेद 338 क के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस मामले की जांच करने का निर्णय भी लिया है। तीन दिन के अंदर इस मामले में अब तक की गई पूरी कार्रवाई का विवरण तलब किया गया है।

आयोग के उपनिदेशक के हस्ताक्षर से जारी नोटिस में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि समय सीमा में उन्हें इस पूरे प्रकरण का जवाब नहीं मिला तो आयोग जिम्मेदारों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए समन भी जारी कर सकता है। गौरतलब है कि इस मामले को राष्ट्रीय बाल आयोग संरक्षण द्वारा भी संज्ञान में लेकर कार्रवाई कर रहा है। नईदुनिया द्वारा इस गंभीर मामले को प्रमुखता के साथ देशभर में प्रकाशित किया गया। इसी के चलते इस मामले में यौन शोषण के आरोपित स्कूल के पादरी सनी फादर, वार्डन सविता एक्का, प्राचार्य नान सिंह यादव और एक शिक्षक पर मामला दर्ज हुआ है। यद्यपि अभी भी इस मामले में दो प्रमुख आरोपित पादरी और वार्डन मामला दर्ज होने के एक पखवाड़े बाद भी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। दो आरोपित जिला जेल में बंद हैं।

Budget For Jabalpur : 14 अरब से बदलेगी जबलपुर की दशा और दिशा, जनता का सपना होगा साकार

यह भी पढ़ें

मिशनरी सोसायटी के अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष पर भी धोखाधड़ी के साथ मतांतरण कराने सहित अन्य गंभीर आरोप की शिकायत मिलने पर समनापुर पुलिस ने धारा 420 के साथ किशोर न्याय अधिनियम की धाराओं के तहत एक और मामला दर्ज किया है।इस मामले में बयान दर्ज कराने की कार्रवाई भी चल रही है।गंभीर मामले के आरोपित मिशनरी सोसायटी के अध्यक्ष बिशप जिराल्ड अल्मोड़ा और कोषाध्यक्ष पादरी जगतराज को गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस प्रयास कर रही है। पत्र मिलते ही आनन-फानन में अब तक की गई कार्रवाई का विवरण और जवाब तैयार कराया जा रहा है। आयोग द्वारा नई दुनिया में प्रकाशित समाचार पत्र का उल्लेख करते हुए उसकी प्रति भी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को भेजी है।

Posted By: **Dheeraj Bajpaih**

COVID 19 TRACKER

Dindori News   # madhyapradesh News   # Collector   # missionary school